न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,टोंक

(परशुराम धानका,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 16 / 2007
विष्टि दिनांक 11.10.2007

सरकार जरिए तहसीलदार निवाई जिला टोंक

—प्रार्थी

बनाम

1. कुमारी कजरी पुत्री हेमचंद अरौडा निवासी किरन निवास शास्त्री नगर, टोंक
2. कुलदीप भट्ट पुत्र दामोदरप्रसाद भट्ट, निवासी निवाई
3. मणीकान्त गर्ग पुत्र भँवर लाल गर्ग, महाजन, निवासी टोंक
4. कमला पत्नी कन्हैयालाल सुनार, निवासी निवाई
5. तेजमल जैन पुत्र भँवर• लाल जैन, निवासी टोंक
6. रामकल्याण पुत्र जगन्नाथ माली, निवाई
7. विनय कुमार जैन पुत्र रामपाल जाति अग्रवाल निवासी सवाईमाधोपुर
8. सत्यनारायण पुत्र रामपाल ब्राह्मण निवासी निवाई
9. सीताराम पुत्र उमाशंकर ब्राह्मण निवासी निवाई
10. देवीनारायण पुत्र उमाशंकर ब्राह्मण निवासी निवाई
11. पूरणमल पुत्र गोपीलाल शर्मा निवासी निवाई
12. नन्दकिशोर पुत्र गोपीलाल शर्मा निवासी निवाई
13. ओमप्रकाश पुत्र गोपीलाल शर्मा निवासी निवाई

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
(मन्दिर की भूमि का अवैधानिक हस्तानान्तरण)

उपस्थित—

1. श्री रामप्रसाद कुमावत नायब तहसीलदार, पेरोकार सरकार एवं श्री सैयद मजहर आलम राजकीय अभिभाषक।
2. श्री तेजमल जैन अभिभाषक प्रतिपक्षीगण 1ता. 10
3. श्री जितेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक प्रतिपक्षीगण 11 ता. 13

अभिशंषा दिनांक 15.07.2022

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार निवाई द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत किया है। संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार हैं कि कस्बा निवाई के आराजी ख. नं. 2950 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, 2953 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, 2954 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 2955 रकबा 26 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 34 बीघा 18 बिस्वा भू प्रबंध संवत् 2011—30 के समय माफी रामप्रताप ब्राह्मण के नाम दर्ज रिकार्ड थी एवं इससे पूर्व मिसल बन्दोबस्त 1988 में चतुर्भुज की विराजमान देह अहतमाम पुजारी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

रामप्रताप वल्द छोगालाल जाति ब्राह्मण सा. देह के नाम दर्ज थी। उपरोक्त वर्णित आराजी जमाबंदी संवत् 2025—28 के खाता सं. 37 में रामप्रताप ब्राह्मण के वारिस उमाशंकर पुत्र रानप्रताप ब्राह्मण के नाम दर्ज हुई। जमाबंदी संवत् 2042—45 के खाता सं. 37 पर उमाशंकर के बजाय राधेश्याम, सीताराम, देवीनारायण पि. उमाशंकर ब्राह्मण नामान्तकरण सं. 2154 से दर्ज हुआ तथा नामान्तकरण सं. 2316 दिनांक 20.09.1990 से राधेश्याम के फौत होने पर उसके वारिसान सत्यनारायण, हनुमान पि. राधेश्याम ब्राह्मण दर्ज हुआ। उक्त रेफरेन्स प्रकरण श्रीमान् जिला कलेक्टर भू. अ. महोदय टोंक के आदेश कमांक भू.अ. 06 के एक विविध (रिकार्ड) 1791 दिनांक 03.05.2007 की पालना में तैयार कर पेश किया गया हैं। मंदिर की भूमि किसी के नाम अंकित नहीं की जा सकती है। अतः प्रतिवादीगणों के नाम से हटाकर उक्त भूमि मूर्ति मन्दिर श्री चतुर्भुज जी विराजमान निवाई के नाम लगवाने हेतु यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी जरिए नोटिस विपक्षी की गई। बहस राजकीय अभिभाषक एंव अभिभाषक अप्रार्थीगण सुनी गई।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब पेश किया कि विवादित भूमि कस्बा निवाई में स्थित है। उक्त भूमि स्व. रामप्रताप ब्राह्मण के स्वामित्व एवं आधिपत्य में होना स्वीकार है जो उनकी ...ु के पश्चात् उक्त भूमि सत्यनारायण, हनुमान, सीताराम एवं देवीनारायण की खातेदारी में ...हुई जिनसे प्रतिपक्षीगण ने पूर्ण प्रतिफल देकर उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र ख... की है जिस पर हम प्रतिपक्षीमण का स्वामित्व एवं आधिपत्य है। उक्त भूमि सम्वत् 2011 से ... से ही रामप्रताप जी के स्वामित्व एवं आधिपत्य में रही है और उक्त भूमि के सम्बन्ध में रेफर... गलत रूप से प्रस्तुत किया गया है। वादग्रस्त भूमि रामप्रताप पुत्र श्री छोगालाल ब्राह्म... नाम सम्वत् 2011 से पूर्व दर्ज थी। उमाशंकर के बजाय वादग्रस्त भूमि राधेश्याम, सीताराम, देवीनारायण आदि के नाम नामान्तकरण भरकर दर्ज किया जाना स्वीकार हैं और राधेश्याम के फौत होने के बाद वादग्रस्त भूमि उसके वारिसान सत्यनारायण, हनुमान आदि के नाम अंकित किया जाना स्वीकार हैं जिन्होंनें उक्त भूमि को हम प्रतिपक्षीमण को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र विकय किया गया। उक्त वादग्रस्त भूमि मंदिर की भूमि नहीं है और मूर्ति मंदिर चतुर्भुज जी वादग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं रहे हैं और यह रेफरेन्स गलत रूप से पेश किया गया है। वादग्रस्त भूमि गत 50 वर्ष से भी अधिक से रामप्रताप जी एवं उनके बाद उनके वारिसान की खातेदारी व कब्जे में चली आ रही है जिसे हम प्रतिपक्षीगण ने पूर्ण प्रतिफल देकर खरीद किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार भी सम्वत् 2011 ... भूमि खातेदारी में अंकित है तो वह उन्हीं काश्तकारों की खातेदारी में रहेगी इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा ऐसी भूमियों के बारे में विभागीय पत्र कमांक: भूप्रआ/समु/11/3/1/85 पार्ट 3 जयपुर दिनांक 17.01.1998 के पैरा नं. 4 में स्पष्ट आदेशित किया जाना है जमाबंदी का इन्द्राज ही दोहराया जाना है। उक्त भूमि से समकक्ष भूमि के खसरा नम्बर 2255 एवं 2256 में मौके पर एस.डी.ओ. कोर्ट एवं मुन्सिफ कोर्ट के भवन निर्माणाधीन है तथा बन चुका है यदि यह भूमि मंदिर चतुर्भुज जी से संबंधित होती तो उक्त भूमि पर किसी भी स्थिति में इस तरह के सरकारी कार्यालयों का निर्माण नहीं होता। उक्त भूमि संवत् 1926 में सेवा वल्द घासी ब्राह्मण जो रामप्रताप का पूर्वज था कि खातेदारी में अंकित थी एवं काश्तकर के कॉलम में खुद काश्त अंकित था बाद में त्रुटि से यदि उक्त भूमि

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

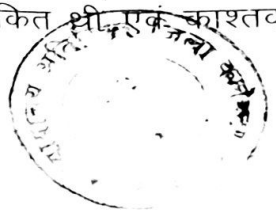

माफी मंदिर में दर्ज भी हो गई हो तो सारी छानबीन के बाद रामप्रताप के हक में माफी बहाल रखी गई है जो सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड से सिद्ध है। उक्त भूमि के संबंध में पूरणमल आदि जो उमाशंकर वगैरह के भाई बन्धु लगते हैं और उनसे रंजिश रखते हैं ने एक नम्बरी वाद सक्षम राजस्व न्यायालय में निवाई में पेश कर रखा हैं उस वाद के विचाराधीन होते हुए प्रस्तुत रेफरेन्स चलने के योग्य नहीं है तथा खारिज किए जाने के योग्य हैं क्योंकि इसी पूरणमल ने निराधार रूप से संजीवनी में शिकायत करके निराधार रूप से तहसीलदार निवाई से मिलकर यह रेफरेंस न्यायालय हाजा में पेश कराया हैं और इसी आशय से उक्त रेफरेन्स में वह पक्षकार भी बना हैं। इसलिए भी प्रस्तुत रेफरेन्स खारिज किये जाने योग्य हैं। अभिभाषक अप्रार्थीगणों ने अपने कथन की पुष्टि में आर0एल0आर0 2000(1) पेज 69, आरआरटी 2011(1) पेज 174, आर0एल0आर.0 2000 (1) पेज 595 तथा डी0एन0ज0 राज. 2000 पेज 528 न्यायिक दृष्टांत उद्वरित किये है।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एंव निवेदन किया कि कस्बा निवाई के आराजी ख. नं. 2950 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, 2953 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, 2954 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 2955 रकबा 26 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 34 बीघा 18 बिस्वा भू प्रबंध संवत् 2011–30 के समय माफी रामप्रताप ब्राह्मण के नाम दर्ज रिकार्ड थी एवं इससे पूर्व मिसल बन्दोबस्त 1988 में चतुर्भुज की विराजमान देह अहतमाम पुजारी रामप्रताप वल्द छोगालाल जाति ब्राह्मण सा. देह के नाम दर्ज थी। उपरोक्त वर्णित आराजी जमाबंदी संवत् 2025–28 के खाता सं. 37 रामप्रताप ब्राह्मण के वारिस उमाशंकर पुत्र रामप्रताप ब्राह्मण के नाम दर्ज हुई। जमाबंदी संवत् 2042–45 के खाता सं. 37 पर उमाशंकर के बजाय राधेश्याम, सीताराम, देवीनारायण पि. उमाशंकर ब्राह्मण नामान्तकरण सं. 2154 से दर्ज हुआ तथा नामान्तकरण सं. 2316 दिनांक 20.09.1990 से राधेश्याम के फौत होने पर उसके वारिसान सत्यनारायण, हनुमान पि. राधेश्याम ब्राह्मण दर्ज हुआ। उक्त रेफरेन्स प्रकरण श्रीमान् जिला कलेक्टर भू. अ. महोदय टोंक के आदेश कमांक भू.अ. 06 के एक विविध (रिकार्ड) 1791 दिनांक 03.05.2007 की पालना में तैयार कर पेश किया गया हैं। मंदिर की भूमि किसी के नाम अंकित नहीं की जा सकती अतः उक्त नामान्तकरण की गई भूमि का परिवर्तन वापस माफी मन्दिर श्री चतुर्भुज जी विराजमान निवाई के नाम लगाने हेतु यह रेफरेन्स माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर को प्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

राजकीय अभिभाषक एंव अभिभाषक अप्रार्थी की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। कस्बा निवाई के आराजी ख. नं. 2950 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, 2953 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, 2954 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 2955 रकबा 26 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 34 बीघा 18 बिस्वा भू प्रबंध संवत् 2011–30 के समय माफी रामप्रताप ब्राह्मण के नाम दर्ज रिकार्ड थी एवं इससे पूर्व मिसल बन्दोबस्त 1988 में चतुर्भुज की विराजमान देह अहतमाम पुजारी रामप्रताप वल्द छोगालाल जाति ब्राह्मण सा. देह के नाम दर्ज थी। उपरोक्त वर्णित आराजी जमाबंदी संवत् 2025–28 के खाता सं. 37 रामप्रताप ब्राह्मण के वारिस उमाशंकर पुत्र रामप्रताप ब्राह्मण के नाम दर्ज हुई। जमाबंदी संवत् 2042–45 के खाता सं. 37 पर उमाशंकर के बजाय राधेश्याम, सीताराम, देवीनारायण पि. उमाशंकर ब्राह्मण नामान्तकरण सं. 2154 से दर्ज हुआ तथा नामान्तकरण सं.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

2316 दिनांक 20.09.1990 से राधेश्याम के फौत होने पर उसके वारिसान सत्यनारायण, हनुमान पि. राधेश्याम ब्राह्मण दर्ज हुआ, जिन्होंनें उक्त भूमि को प्रतिपक्षीगण को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय किया गया जो अवैधानिक है। मन्दिर की भूमि किसी के नाम अंकित नहीं की जा सकती। अतः प्रतिपक्षीगणों के नाम से हटा कर मूर्ति मन्दिर श्री चतुर्भुज जी विराजमान देह के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावें।

फलतः प्रार्थना पत्र रेफरेन्स तहसीलदार निवाई स्वीकार करने के निवेदन के साथ प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि भूमि आराजी खसरा नम्बर 2950 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, 2953 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, 2954 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 2955 रकबा 26 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 34 बीघा 18 बिस्वा भूमि वाके ग्राम कस्बा निवाई जो विपक्षीगण के हक में खातेदारी में अंकित कर दी गई की प्रविष्टियों एंव नामान्तकरण सं. 2154 व नामान्तकरण सं. 2316 दिनांक 20.09.1990 को निरस्त कर भूमि वापस मूर्ति मन्दिर श्री चतुर्भुज जी विराजमान निवाई के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावें।

(परशराम धानका)
अति.जिला कलक्टर,टोंक